नगर पंचायत गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिकः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंप जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अवधि 4/2013 से 3/2014 तक नगर पंचायत गगरेट के प्रधान एवं सचिव निम्नानुसार थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	पदभार अवधि
1	श्रीमतो किरण बाला	1.4.13 से 31.3.2014

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	पदभार अवधि
1	श्री सतीश ठाकुर (कार्यवाहक)	1.4.2013 से 31.03.2014

(ख) नगर पंचायत गगरेट के अवधि 1.4.13 से 31.3.14 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्र0सं0	**गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**पैरा सं0**	**राशि ₹ लाखों में**
1	उपयोग की गई अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी न करना	5.2	72.56
2	दिनाँक 31.3.14 के अनुदान की अनुपयुक्त राशि	5.3	55.84
3	स्वीकृत बजट से अधिक/अनियमित व्यय	5.4	15.38
4	दिनाँक 31.3.14 की गृहकर की लम्बित वसूली	6.2 (i)	19.89
5	दुकान व प्लाट/खोखों के किराये की लम्बित वसूली	6.2 (iii)	6.47
6	दिनाँक 31.3.2014 को मोबाईल टावर कम्पनियों के मालिकों से नवीनीकरण शुल्क की वसूली योग्य राशि	6.2 (iv)	0.65
7	दिनाँक 31.3.04 से 31.3.14 के मध्य में दुकानें छोड़कर जा चुके दुकानदारा से किराये की वसूली न करने बारे	6.4 व 6.5	5.57
8	टिप्पर की खरीद पर अपव्यय	8.1	10.04
9	दूरभाष के बिलों का अनियमित भुगतान	8.2	2921
10	बिजली की मदों का खुले बाजार से क्रय करन बारे	8.3	4.93
11	निर्माण कार्य में हुई Deviation का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन न करवान बारे	9.1	1.29

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "i"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

अवधि 4/2013 से 3/2014 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए हैं दिनाँक 1.11.14 से 29.11.14 तक श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर पंचायत गगरेट स्थित कार्यालय में किया गया। अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए मास 3/2014 तथा व्यय के लिए मास 11/2013 का चयन किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना एवं सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित उपरोक्त मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत गगरेट के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹18000/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 083988 दिनाँक 6.12.2014 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत की अवधि 4/2013 से 3/2014 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट ii)** पर संलग्न है, के आधार पर निम्नानुसार थीः–

वर्ष	**आय के स्त्रोत**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ₹ में**	**कुल ₹ में**	**व्यय ₹ में**	**अन्तिम शेष**
2013–14	स्वयं स्त्रोत	1615801.80	5751233	7367034.80	4234253.11	3132781.69
	अनुदान	6779194.60	6061007	12840201.60	7255785.00	5584416.60
	कुल	**8394496.**	**11812240**	**20207236.40**	**11490038.**	**8717198.**

40	**11**	**29**
रोकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष		**8717198.29**
बैंक खाते में जमा राशि		8725423.29
अन्तर का समाधान **परिशिष्ट (iii)** पर विस्तार से दर्शाया गया है		₹8225.00

5 (i) सरकारी अनुदान (Grant in Aid):–

अवधि 4/13 से 3/2014 के दौरान आय का मुख्य स्त्रोत प्राप्त अनुदान की राशि थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का विवरण विभिन्न परिशिष्टों में दिया गया है तथा अनुदानों की वित्तीय स्थिति को **परिशिष्ट (iv)** पर दर्शाया गया है।

क्र0सं0	**अनुदान का विवरण**	**परिशिष्ट**
1	SJSRY	(v)
2	4th S.F.C.	(vi)
3	13th F.C.	(vii)
4	Natural Calamity	(viii)
5	Mairtenance of ULB & Roads	(ix)
6	VKVNY	(x)
7	Purchase of Hydrolic Tipper	(xi)
8	SDP	(xii)
9	Welfare office	(xiii)

5.2 ₹7255785/– उपयोग की गई अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना:–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त अनुदानों की राशि ₹7255785/– व्यय/उपयोग की गई थी परन्तु उपयोग की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.3.14 तक सम्बन्धित विभाग को जारी नहीं किए गए थे। उपयोग की गई राशि के

उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिलम्ब सम्बन्धित विभाग को जारी करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	अनुदान का विवरण	व्यय
1	SJSRY	162944
2	4th S.F.C.	2651940
3	13th F.C.	1472366
4	Mairtenance of ULB Roads	2333535
5	VKVNY	90000
6	Hydrolic Tipper	525000
7	Welfare Deptt.	20000
		7255785

5.3 ₹5584416/– अनुदान राशियों का उपयोग न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की राशियों में से दिनाँक 31.03.2014 को ₹5584416/– का उपयोग नहीं किया गया था। अनुदानों के परिशिष्टों में दर्शाए गए विवरणों से स्पष्ट है कि अधिकाँश अनुदानों की शेष बची राशियाँ न तो सरकार को वापिस की गई थी और न ही इनका उपयोग/व्यय किया गया। अनुपयुक्त अनुदानों राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर उसकी उद्देश्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जाए जिस प्रयोजन हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

5.4 स्वीकृत बजट की राशि से ₹1537538.11 अधिक/अनियमित व्ययः–

नगर पंचायत गगरेट का अवधि 4/13 से 3/14 तक का स्वीकृत बजट/कुल (व्यय) निम्नानुसार थाः–

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2013–14	9952500	11490038.11	1537538.11

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया है। अधिक किए गए व्यय को हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक शहरी विकास विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके

नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 आयः–

नगर पंचायत के प्राप्त आय के स्त्रोत प्रमुखतः निम्न प्रकार से है जिन्हें परिशिष्ट (xiv) पर दर्शाया गया हैः–

क्र0सं0	विवरण
1	House Tax
2	Rent of Shops/Stalls
3	Teh Bazari
4	Parking Fees
5	Liquor cess
6	Chullah Tax
7	Interest on sevings
8	N.O.C. for water/Electricity connection
9	Copying Fees
10	Building Fees
11	Misc.
12	Mobile Tower
13	Car/Taxi Parking
14	Grant-in-Aid

6.2 ₹2713494.00 की लम्बित वसूलियाँः–

नगर पंचायत की विभिन्न शीषों के अन्तर्गत निम्नानुसार दिनाँक 31.3.2014 को ₹2713494/– की वसूलियाँ लम्बित थीः–

क्र0सं0	विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	गृह कर	1989112	xv
2	चूल्हा टैक्स	12335	xvi
	दुकान व प्लाट/खोखा किराया	647047	xvii
3	मोबाईल टावर	65000	xviii
		2713494	

(i) गृहकर के रूप में दिनाँक 31.3.2014 को ₹1989112/– की लम्बित वसूलियाँः–

दिनाँक 31.3.2014 तक **परिशिष्ट (xv)** के अनुसार गृह कर के रूप में ₹1989112/– विभिन्न करदाताओं से वसूल की जानी शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 (i) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10 (ए) मे ंपूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करनी वांन्छित थी तथा सम्बन्धित करदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक थी। लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकतर मामलों में काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत के क्रिया कलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित वसूली हेतु राशियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः शेष राशि की वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाए।

(ii) चूल्हा टैक्स ₹12335/– की वसूली न करनाः–

दिनाँक 31.3.2014 तक चूल्हा टैक्स ₹12335/–की वसूली हेतु राशि शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (xvii)** में दिया गया है। अतः शेष राशि की वसूली के लिए नियमानुसार प्रभावशाली पग उठाए जाएं।

(iii) दुकान व प्लाट/खोखा के किराए के रूप में दिनांक 31.3.2014 तक ₹647047/– की लम्बित वसूलियाँः–

दुकानों व प्लाटों/खोखा से देय किराए के रूप में **परिशिष्ट (xviii)** के अनुसार ₹647047/– वसूली हेतु शेष थी। किराए की वसूली हेतु सचिव द्वारा कोई भी नोटिस दुकानदारों को जारी नहीं किया गया। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। नगर पंचायत द्वारा प्रभावशाली पग न उठाए जाने के कारण

दुकानों के किराए की लम्बित राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा लम्बित किराए की वसूली शीघ्र की जाए।

(iv) ₹65000/– मोबाईल टावर कम्पनियों के मालिकों से नवीनीकरण शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि शेषः–

दिनाँक 31.03.2014 तक मोबाईल टावर कम्पनियों के मालिकों से नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹65000/– की वसूली हेतु राशि शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (xviii)** में दिया गया है। अतः शेष राशि की वसूली के लिए नियमानुसार प्रभावशाली पग उठाएं जाएं।

6.3 दुकानों के किराए में नियमानुसार बढ़ौतरी न करनाः–

आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–एफ(6)–1/85 दिनांक 21.12.2001 के नियम 5 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के उपरान्त किराए में 10**%** की बढ़ौतरी का प्रावधान है तथा दुकानों से नियमानुसार अनुबन्ध किए जाने है **परिशिष्ट (xixi)** पर लगाए गए विवरण के अनुसार दुकानदारों से न तो अनुबन्ध किए गए हैं और न ही उनके किराए पर 10**%** की दर से नियमानुसार बढ़ौतरी की गई है जिसकी सूचना उपलब्ध करवाने बारे पत्र क्रमाँक 195/2014 दिनाँक 20.11.2014 के द्वारा सचिव, नगर पंचायत गगरेट से अनुरोध किया गया। सचिव ने पत्र संख्या नगर पंचायत गगरेट/784 दिनाँक 28.11.2014 के द्वारा सूचित किया है कि नगर पंचायत की इन दुकानों के किराए में 10**%** की दर से शीघ्र ही बढ़ौतरी कर दी जाएगी। अतः नियमानुसार दुकानदारों से अनुबन्ध निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करते हुए दुकानों के किराए में नियमानुसार 10**%** की दर से बढ़ौतरी सुनिश्चित की जाए।

6.4 दुकानें खाली करके जा चुके दुकानदारों से ₹37903/– किराए की राशि की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत गगरेट की दुकानों को **परिशिष्ट (xx)** पर लगाए गए विवरण के अनुसार दुकानदारों ने काफी समय पहले (दिनाँक 31.5.2004 से 31.3.2012 के मध्य में) खाली

कर दिया था परन्तु उनसे बकाया किराए की राशि ₹337903/– की वसूली अभी तक नहीं की गई है यह चिन्ता का विषय है। इस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे सचिव, नगर पंचायत गगरेट से पत्र क्रमाँक 196/2014 दिनाँक 20.11.14 के द्वारा अनुरोध किया गया। सचिव ने पत्र संख्या नगर पंचायत गगरेट/785 दिनाँक 28.11.14 के द्वारा ₹337903 किराए की वसूली शीघ्र करने बारे कहा है। अतः लम्बित किराए की वसूली शीघ्र की जाए। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

6.5 वर्ष 2014 में दुकानदारों द्वारा खाली की गई दुकानों का किराया ₹219219/– की वसूली न करने बारेः–

नगर पंचायत गगरेट की दुकानों को दुकानदारों ने वर्ष 2013–14 में खाली कर दिया है परन्तु उनसे लम्बित किराए की राशि ₹219219 की वसूली नहीं की गई है। इस बारे सूचना उपलब्ध करवाने बारे सचिव नगर पंचायत गगरेट को पत्र क्रमाँक 197/2014 दिनाँक 20.11.2014 के द्वारा अनुरोध किया है लम्बित किराए की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः नियमानुसार दुकानों के लम्बित किराए ₹219219/– की वसूली शीघ्र की जाए।

दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	31.3.14 को लम्बित किराया	दुकान खाली करने की तिथि
39	श्री सुदर्शन कुमार	46694	31.1.14
40	श्री जोगिन्द्र सिंह	76200	31.1.14
41	श्री दिनेश कुमार	40565	16.1.14
42	श्री गिरधारी लाल	2600	31.3.14
43	श्री हकिम सिंह	53160	31.3.14
		219219	

6.6 ₹48400/– की प्रतिभूति/धरोहर राशि की कम वसूलीः–

परिशिष्ट (xxi) पर लगाए गए विवरण के अनुसार नगर पंचायत गगरेट द्वारा आंबटित की गई दुकानों के दुकानदारों से प्रतिभूति/धरोहर राशि ₹48400/– की कम वसूली की गई जोकि आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या

एल0एस0जी0–एफ (6)1/85 दिनाँक 21.12.2001 के नियम 7 में दिए प्रावधान अनुसार ₹10000/– प्रति आंबटित की जानी वाँछित थी। इस बारे सचिव नगर पंचायत गगरेट को पत्र क्रमाँक 198/2014 दिनाँक 20.11.2014 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने बारे कहा गया। सचिव नगर पंचायत गगरेट ने पत्र संख्या नगर पंचायत गगरेट/788 दिनाँक 28.11.14 के द्वारा सूचित किया है कि भविष्य में दुकानों की नीलामी के समय ₹10000 की दर से प्रतिभूति वसूली जाएगी जोकि उचित नहीं है। अतः परिशिष्ट में संलग्न विवरण के अनुसार आंबटितों से प्रतिभूति/धरोहर राशि ₹48400/– की वसूली भी शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

6.7 बिना विज्ञापन दिये खोखे आंबटित करना तथा वर्ष 2012 में निर्मित दुकानों को नीलाम न करनाः–

नगर पंचायत गगरेट निम्नलिखित खोखे का आबंटन बिना विज्ञापन दिये तथा बिना सार्वजनिक नीलामी के आंबटित किये गये इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में निर्मित निम्न दुकानों को नीलाम नहीं किया गया है जिस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे नगर पंचायत के सचिव को अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा पत्र क्रमाँक नगर पंचायत गगरेट 782 दिनाँक 28.11.14 के तहत सूचित किया है कि खाली खोखे का आंबटन प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह के प्रार्थना पत्र नगर पंचायत की बैठक की प्रस्ताव संख्या 22 (1) दिनाँक 20.3.2014 द्वारा किया गया। नगर पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों में से केवल विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित दुकानें ही खाली है जो कि उचित नहीं है क्योंकि दुकानों/खोखों को आंबटन आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–एफ (6) 1/85 दिनाँक 21.12.2001 के अनुसार नीलामी के उपरान्त किया जाना अपेक्षित है। अतः श्री कुलदीप सिंह को खोखे का बिना औपचारिकता पूर्ण आंबटन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा खाली पड़ी दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शीघ्र की जाए ताकि नगर पंचायत की आय में वृद्धि की जा सके।

बिना विज्ञापन/खोखे का आंबटन

संख्या	दुकानदार का नाम	आंबटन की तिथि
2	श्री कुलदीप सिंह	1.3.14

वर्ष 2012 में निर्मित दुकानों का विवरण जिनको नीलाम नहीं किया गया

दुकान संख्या 10, 11, 13, 14, 20, 23, 24

6.8 गत कई वर्षों से लम्बित गृहकर ₹1680288/– वसूली न करने बारेः–

लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधिकतर गृह स्वामियों द्वारा कई वर्षों से लम्बित गृहकर की राशि जमा नहीं कि जा रही है और न ही नगर पंचायत द्वारा लम्बित राशि की वसूली हेतु कोई कारगर कदम उठाए जा रह हैं यह चिन्ता का विषय है। दिनाँक 31.3.2014 को गृहकर की कुल लम्बित राशि ₹1989112/– में से ₹1680288/– की गत कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (xxii)** पर संलग्न है। इस बारे सचिव नगर पंचायत गगरेट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया। सचिव ने पत्र संख्या नगर पंचायत गगरेट/789 दिनाँक 28.11.14 के द्वारा सूचित किया है गृहकर की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 (i) के प्रावधानों के अनुसार टी0एस0 10 (ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाए तथा लम्बित राशि की वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाएं।

6.9 मदिरा शुल्क की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग से एक रूपये प्रति बोतल की दर से नियमानुसार शराब कर की वसूली नहीं की गई हैं। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस सन्दर्भ में मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.10 विद्युत कर की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनाँक 28.08.2000 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र में कुल बिजली खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपयोग की वसूली विद्युत विभाग से की जानी अपेक्षित थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा अवधि 8/2010 से 31.3.2014 तक के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए सम्बन्धित विभाग से इस अवधि

की राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 स्थापनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण **परिशिष्ट (xxiii)** पर संलग्न है।

8.1 टिप्पर की खरीद पर ₹1004323 का अपव्ययः–

नगर पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹1004323 का व्यय टिप्पर के क्रय पर किया गया।

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनाँक	विवरण	राशि
मैसर्ज लिबड़ा ऑटोमोबाईल्ज लिमिटेड बहडाला	660	20.11.13	(i) Tata Daisel Chasis Model FC 407 CAB Chesis	780000
			(ii) बीमा राशि	27330
			(iii) Temporary No.	800
मैसर्ज टैक्निक फैब्रिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	275	29.11.13	Body Fabrication	196193
				1004323

उक्त वाहन को नगर पंचायत गगरेट में लाने के लिए बिल संख्या 5650 दिनाँक 20.11.13 के द्वारा 15 लीटर डलवाया गया है तथा तदोपरान्त यह वाहन नगर पंचायत के कार्यालय के बाहर माह 11/2013 से बिना प्रयोग किये खड़ा कर दिया गया है। वाहन की न तो लॉग बुक लगाई गई है और न ही इसे भण्डार पंजिका में दर्ज किया गया है। वाहन की कोई भी सर्विस नहीं करवाई गई। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत गगरेट के पास कूड़ा कर्कट उठाने के लिए पहले से ही एक ट्रेक्टर मौजूद है। इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 208/2014 दिनाँक 28.11.14 के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया। सचिव ने पत्र संख्या नगर पंचायत गगरेट/791 दिनाँक 28.11.14 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई है कि वाहन खरीदने के लिए सरकार से पत्र संख्या

40–एच(एफ) 19/86–935 दिनाँक 15.1.2011 के द्वारा कूड़ा कर्कट उठाने क लिए ₹525000/– विशेष अनुदान राशि प्राप्त हुई थी जिसका टिप्पर खरीद लिया गया। इस टिप्पर को चलाने के लिए नगर पंचायत के पास ड्राईवर उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि नगर पंचायत को टिप्पर की कोई आवश्यकता नहीं थी बिना आवश्यकता के टिप्पर की खरीद पर कुल ₹1004323/– का अपव्यय किया गया है। यह प्रकरण निदेशक शहरी विकास विभाग के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

8.2 ₹2921 दूरभाष के बिलों पर अपव्ययः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा निर्मित सचिव के आवास पर लगाए गए दूरभाष संख्या 240410 के भुगतान हेतु 4/2013 से 3/2014 तक ₹2921 का भुगतान किया गया जबकि सचिव का आवास पिछले कई वर्षों से खाली रहने के कारण टेलीफोन का उपयोग नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 207/2014 दिनाँक 28.11.2014 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था। सचिव द्वारा पत्र संख्या नगर पंचायत गगरेट/790 दिनाँक 28.11.14 द्वारा सूचित किया गया है कि सचिव आवास पर लगे टेलीफोन को शीघ्र ही कटवा दिया जाएगा। इस प्रकार के अपव्यय पर तुरन्त रोक लगाई जाए।

8.3 ₹493732/– बिजली के सामान की खरीद पर अनियमित व्ययः–

नगर पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाईट हेतु बिजली की मदों का क्रय बिल संख्या 617 के अन्तर्गत मैसर्ज राज इलैक्ट्रिकल गगरेट से ₹493732/– में किया गया जबकि बिजली की मदों को नियन्त्रक भण्डार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर क्रय किया जाना अपेक्षित था या टैन्डर के माध्यम से खरीदा जाना अपेक्षित था ताकि बाजार दर प्रतिस्पर्धा का लाभ मिल पाता खुले बाजार से बिना औपचारिकता पूर्ण किये सामान की खरीद बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये।

विवरण	मात्रा	दर	राशि
HPSV Lamps 70W	75	480	36000
HPSV Lamps 150W	100	610	61000

HPSV Chowk 70W	50	1190	59500
HPSV Chowk 150W	75	1580	118500
HPSV Capacitor 70W	50	195	9750
HPSV Capacitor 150W	75	275	20625
HPSV Igmator 70/150W	150	325	48750
HPSV MH Ignator	8	400	3200
HPSV Holder 150/250 W	48	100	4800
HPSV Lams 400w	12	1400	16800
CFL Lamps 45 W	50	500	25000
6mm2 wire (Aluminium)	5	1585	7925
10mms wire (Aluminium)	5	2900	14500
Timer Switches	1	3200	3200
HN x Switch	1	4500	4500
			434050
	Vat 13.75%		**59681.87**
			493731.87

9.1 निर्माण कार्य का नामः— C/O Toilet at Bus stand Nagar Panchyat Gagret

संविदाकार का नामः—श्री अश्वनी कुमार

अनुबन्ध संख्याः— 454 दिनाँक 16.5.13

मापन पुस्तिका संख्याः— 35 पृष्ठ 43 से 46 तथा पृष्ठ 74 से 82

बिलः— प्रथम चलत एवं द्वितीय अन्तिम बिल

(i) उपरोक्त Toilet का निर्माण कार्य श्री अश्विनी कुमार संविदाकार को पत्र संख्या 454 दिनाँक 16.5.13 के द्वारा आंबटित किया गया था इस निर्माण कार्य की आंबटित/अनुमोदित राशि ₹419434/— थी लेकिन इस कार्य पर द्वितीय अन्तिम बिल तक ₹548997/— का कार्य निष्पादित करवाया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य की राशि में ₹129563/— (548997—419434) की Deviation का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से अनुमति लेंकर नियमित नहीं करवाया गया। As per Rule 7.36 read with rule 10.9 g Public work code applicable in H.P. provide that as and when the expenditure the work is likely to be exceed the sanctioned amount revised sanction may be procured from

completetat authority अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर व्यय को नियमित करवाया जाए।

(ii) निर्माण कार्य में निम्नानुसार ₹195361/– अतिरिक्त मदों का कार्य बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये किया गया यह अनियमित है। अतः व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमितकरण करवाया जाए।

मद संख्या	विवरण	मात्रा	दर	राशि
23 (b)	P/F wall ceiling and floors Salvarisedmiled steel tables	27.80	240	6672
24 (b)	P/L Trenches 150 mm dia	20.72 मी0	550	11396
39	P/F brass full way value 20mm bore	4	380	1520
				19536

(iii) उपरोक्त निर्माण कार्य में संविदाकार को भुगतान की गई दरों की विभागीय Justification of rates तैयार नहीं की गई है जिस के अभाव में भुगतान की गई दरों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं जा सकी जिसे अब तैयार करके आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत की जाये।

9.2 निर्माण कार्य का नामः– R/M of Path towards the H/O Sh. Mastam Singh in W.No. 4 of N.P. Gagret

संविदाकार का नामः– श्री अश्विनी कुमार

मापन पुस्तिका संख्याः– 35 पृष्ठ 54

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 5 शटरिंग प्रति प्लेट की दर सक्षम अधिकारी द्वारा ₹3 प्रति पैकेट अनुमोदित की गई थी परन्तु संविदाकार को वास्तव में ₹4 प्रति प्लेट की दर से 114 नम्बर प्लेटों का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹114/– का अनुचित लाभ दिया गया। जिसकी वसूली जी–8 संख्या 120/22 दिनाँक 29.11.14 के द्वारा अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

10 अभिलेख उपलब्ध न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा निम्नानुसार अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया यह अनियमित है। अतः वाँछित अभिलेख अब तैयार करके आगामी लेखा परीक्षा के दौरान आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) यात्रा भत्ता चैक रजिस्टर

(ख) पैंन्शन व ग्रेच्यूटी की रोकड़ वही

(ग) समाान्य भविष्य निधि की रोकड़ बही

(घ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति रजिस्टर

(ङ) ट्रैक्टर मुरम्मत रजिस्टर

(च) ई0सी0आर0 (रजिस्टर)

11 **लघु आपत्ति विवरणिकाः**–इसें पृथक से जारी नहीं किया गया।

12 **निष्कर्षः**– लेखों में उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) V (69)/81-2014खण्ड–2 पार्ट–1342–1343 दिनांक 19.03. 2015 , शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
2. सचिव, नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करें।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–"i" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/1982 से 3/1984

1	पैरा–16	अनिर्णीत

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1	पैरा–24 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा–24 (ii)	अनिर्णीत

3 अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1988

1	पैरा–15	अनिर्णीत

4 संयुक्त निदेशक तथा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का 9.12.1993 व 10.12.1993 का नोट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत

5 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1995

1	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (च)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (न)	अनिर्णीत
8	पैरा–14	अनिर्णीत
9	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत

10	पैरा–15 (iv)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (v)	अनिर्णीत

6 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2004

1	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–14	अनिर्णीत
4	पैरा–24	अनिर्णीत
5	पैरा–26	अनिर्णीत
6	पैरा–29	अनिर्णीत
7	पैरा–35	अनिर्णीत
8	पैरा–36	अनिर्णीत
9	पैरा–38	अनिर्णीत
10	पैरा–41	अनिर्णीत

7 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा–3 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (सी) (iv)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (सी) (v)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (सी) (vi)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (सी) (vii)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (iv)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत

8 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
2	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
3	पैरा–7.1	निर्णीत	(नगर पंचायत गगरेट में ट्रैक्टर चालक के पद की स्वीकृति निदेशक शहरी विकास विभाग के

			पत्र संख्या यू0डी0–एच–बी 15–1/2006–6497–99 दिनाँक 27.5.13 द्वारा प्रदान की गई है)
4	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
5	पैरा–7.4	अनिर्णीत	
6	पैरा–7.5	अनिर्णीत	
7	पैरा–8	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
8	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
9	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
10	पैरा–8.4	अनिर्णीत	
11	पैरा–8.6	अनिर्णीत	
12	पैरा–8.7	अनिर्णीत	
13	पैरा–8.8	अनिर्णीत	
14	पैरा–8.9	निर्णीत	(वाँछित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
15	पैरा–8.10	निर्णीत	(रसीद की पुष्टि कर ली गई है)
16	पैरा–9	अशतः निर्णीत	(₹2125 की वसूली संविदाकार से रसीद संख्या 21/120 दिनाँक 29.11.14 के द्वारा कर ली गई है बिक्री कर ₹2125 सम्बन्धित विभाग के पास जमा करवाया जाना वाँछित है)
17	पैरा–9.1	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर तथा संविदाकार से किए गए अनुबन्ध की Clause 10 cc के अनुसार/संविदाकार तथा सचिव नगर पंचायत के बीच अनुबन्ध लोक निर्माण विभाग के अनुबन्ध के अनुसार किया गया था)
18	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
19	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
20	पैरा–10	अनिर्णीत	
21	पैरा–10.1	निर्णीत	(₹981 की वसूली रसीद संख्या 23/120 दिनाँक 29.11.14 द्वारा कर ली गई है)

22	पैरा–12	अनिर्णीत	
23	पैरा–13	अशतः निर्णीत	(4.12.08 से 13.10.2011 तक की लेबर सैस की वसूली लम्बित है)
24	पैरा–14	अनिर्णीत	
25	पैरा–15	अनिर्णीत	
26	पैरा–16	निर्णीत	(4 बैग सीमेन्ट को भण्डार पंजिका पृष्ठ 28 पर दर्ज कर दिया गया है)
27	पैरा–17	निर्णीत	(458.24 कि0ग्रा0 पुराना सरिया नकारा घोषित करने के उपरान्त दिनाँक 27.8.13 को नीलाम कर दिया गया है)

9 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा–5.2	निर्णीत	(अनुपयोक्त अनुदानों की स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/14 के पैरा संख्या 5.3 में दर्शाई गई है)
2	पैरा–5.3	अनिर्णीत	
3	पैरा–6.2	निर्णीत	(लम्बित वूसलियों की स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.2 में दर्शाई गई है)
4	पैरा–6.2 (i)	निर्णीत	(लम्बित गृहकर की स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.2 (i) में दर्शाई गई है)
5	पैरा–6.2 (ii)	निर्णीत	(लम्बित चूल्हा टैक्स की स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.2 (ii) में दर्शाई गई है)
6	पैरा–6.2 (iii)	निर्णीत	(लम्बित किराए की स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.2 (iii) में दर्शाई गई है)
7	पैरा–6.3	निर्णीत	(लम्बित मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क

			की स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.2 (iv) में दर्शाई गई है तथा सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
8	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
9	पैरा–6.5	अनिर्णीत	
10	पैरा–6.6	निर्णीत	(शराब कर की वसूली निम्नानुसार प्राप्त कर ली गई है)
11	पैरा–6.7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्या 6.10 पुनः प्रारूपित)
12	पैरा–7.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति पैरा संख्या 7.1 वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
13	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
14	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
15	पैरा–8.2	अनिर्णीत	
16	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
17	पैरा–8.4	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
18	पैरा–9	निर्णीत	(₹3030 चालान संख्या 25 दिनाँक 19.11.14 के द्वारा राजकोष में जमा करवा दिए गए है)
19	पैरा–10	अनिर्णीत	
20	पैरा–11	अनिर्णीत	

(पैरा–6.6 की वसूली का विवरण:)

वर्ष	**रसीद संख्या**	**राशि**
2011–12	34/79	171605
–	28/05	232830
2012–13	34/108	154639
		559074